छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल

पुराना नर्सेस हास्टल, रायपुर, छत्तीसगढ

(website:- www.cgnrc.org, Email id – snrc.cg@gmail.com, phone:- 0771-2227600)

क्रमांक / रजि0 नर्सिंग कां0 / एनआरटीएस / 2026 /   रायपुर, दिनांक ...... /   / 2026

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   (छ.ग.)
2. अधिष्ठाता,
   समस्त शासकीय / निजी चिकित्सा महाविद्यालय(छ.ग.)
3. समस्त सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय,
   (छ.ग.)
4. समस्त संयुक्त संचालक / अधीक्षक
   शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सालय (छ.ग.)
5. प्राचार्य
   समस्त शासकीय / निजी नर्सिंग
   महाविद्यालय / स्कूल / प्रशिक्षण केन्द्र (छ.ग.)
6. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी
   (छ.ग.)

विषयः– **नर्सेस रजिस्ट्रेशन ट्रेकिंग सिस्टम (NRTS) के अंतर्गत पंजीकरण की कार्यवाही करने के संबंध में।**

संदर्भः– **1. भारत के राजपत्र, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रं. 149, दिनांक 07 मई, 2019**

2. भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के पत्र क्रं. F.No. 22-10/NRTS/2019-INC/2660, Dated 12.10.2023

––00––

उपरोक्त संदर्भित भारत सरकार के अधिसूचना के विषयांतर्गत अपने संस्था / अस्पताल के अधीनस्थ कार्य कर रहे, समस्त नर्सिंग स्टॉफ / नर्सिंग छात्राओं के छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीयन, नवीनीकरण की प्रक्रिया केवल नर्सेस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेकिंग सिस्टम परियोजना (NRTS Project) की आधिकारिक वेबसाईट https://nrts.indiannursingcouncil.gov.in के तहत् ऑनलाईन ही कराने की व्यवस्था करेंगे।

भविष्य में छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में मैनुअल पंजीयन की प्रक्रिया बंद कर दी जायेगी। अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के दूरभाष क्रमांक 0771–2225204, 0771–2227600, 9425505270, 6260893170 में संपर्क कर सकते हैं।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

//

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सह अध्यक्ष
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छत्तीसगढ

क्रमशः ...

पृ.क्रमांक/रजि0 नर्सिंग कां0/एनआरटीएस/2026/858 रायपुर, दिनांक 21/01/2026

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष, भारतीय उपचर्या परिषद्, आठवां तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज –1, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, आठवां तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज –1, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
8. उप–संचालक, प्रशिक्षण, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
9. उप–संचालक, अस्पताल प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
10. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, उपरवारा, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
12. वेबसाइट प्रति।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सह अध्यक्ष
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छत्तीसगढ़

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 2019/वैशाख 17, 1941
No. 149]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 2019/VAISAKHA 17, 1941

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2019

भारतीय उपचर्या परिषद् (नर्स पंजीकरण एवं लक्ष्यानुसरण प्रणाली – एनआरटीएस) विनियम, 2019

फा.सं. 22–10/एनयूआईडी/2014–आईएनसी.—समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 15क और धारा 16(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय उपचर्या परिषद् (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के विनियम संख्या 59 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:–

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तनः–

(1) ये विनियम भारतीय उपचर्या परिषद् (नर्स पंजीकरण एवं लक्ष्यानुसरण प्रणाली – एनआरटीएस) विनियम, 2019 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएंः–इन विनियमों में जब तक संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) 'अधिनियम' का आशय समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) से है।

(2) 'परिषद्' का आशय अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय उपचर्या परिषद् से है।

(3) 'एसएनआरसी' का आशय राज्य नर्स एवं मिडवाइव्स पंजीकरण परिषद् (जिस किसी भी नाम से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामांकित किया गया हो) से है।

(4) 'आरएन एंड आरएम' का आशय पंजीकृत नर्स एवं पंजीकृत मिडवाइफ (आरएन एंड आरएम) से है जो एक ऐसे नर्स को दर्शाता है जिसने परिषद् द्वारा निर्धारित एवं मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्नातक (बीएससी नर्सिंग) अथवा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, और किसी एसएनआरसी में पंजीकृत नर्स एवं पंजीकृत मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत हो।

(5) 'आरएएनएम' का आशय पंजीकृत सहायक नर्स मिडवाइफ से है जो एक ऐसे सहायक नर्स मिडवाइफ को दर्शाता है जिसने परिषद् द्वारा निर्धारित एवं मान्यता प्राप्त सहायक नर्स मिडवाइफरी (एएनएम) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, और किसी एसएनआरसी में पंजीकृत सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत हो।

(6) 'आरएलएचवी' का आशय पंजीकृत महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका से है जो एक ऐसी महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका को दर्शाता है जिसने परिषद् द्वारा निर्धारित एवं मान्यता प्राप्त महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका (एलएचवी) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और किसी एसएनआरसी में पंजीकृत महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका के रूप में पंजीकृत हो।

(7) 'भारतीय नर्स रजिस्टर' का आशय संबंधित एसएनआरसी में पंजीकृत नर्स, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के रजिस्टर से है, जिसे अधिनियम की धारा 15क के निर्दिष्टानुसार तैयार किया गया हो।

(8) नर्स पंजीकरण एवं लक्ष्यानुसरण प्रणाली (एनआरटीएस) का आशय भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा विकसित की गई ऐसी प्रणाली से है जिसका सॉफ्टवेयर भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से विकसित किया गया है, और भारतीय नर्स रजिस्टर के रखरखाव और संचालन के उद्देश्य से एनआईसी द्वारा परिचारित (होस्ट) किया गया है। इसमें 'आधार' आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा पंजीकृत नर्स एवं पंजीकृत मिडवाइव्स (आरएन एंड आरएम)/ पंजीकृत सहायक नर्स मिडवाइव्स (आरएएनएम)/पंजीकृत महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं (आरएलएचवी) का विवरण संग्रह करने के लिए प्रमाणिक फॉर्म उपलब्ध है।

(9) 'मूल उपचर्या परिषद्' का आशय संबंधित राज्य के एसएनआरसी से है जिसके अधिकार क्षेत्र में वह संस्थान स्थित है जहां से उम्मीदवार ने अधिनियम की धारा 10 के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त की है।

(10) 'पारस्परिक पंजीकरण' का आशय ऐसे पंजीकरण से है जिसे किसी आरएन एंड आरएम/आरएएनएम/आरएलएचवी द्वारा किसी एक एसएनआरसी से दूसरे एसएनआरसी (जहां वह अभ्यास करना चाहती/चाहता है) में जाने पर कराया जाना चाहिए।

(11) 'सीएनई' का आशय आरएन एंड आरएम/आरएएनएम/आरएलएचवी द्वारा प्रत्येक 5 (पांच) वर्ष के पश्चात पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनिवार्यतः प्राप्त की गई सतत् नर्सिंग शिक्षा।

3. **भारतीय नर्स रजिस्टरः–** अधिनियम की धारा 15क के तहत उल्लिखित भारतीय नर्स रजिस्टर में प्रत्येक आरएन एंड आरएम, आरएएनएम और आरएलएचवी का नाम, उसकी योग्यता और अन्य विवरण शामिल होंगे।

4. **सजीव रजिस्टर का रखरखावः–** परिषद्, भारतीय नर्स रजिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से/साकार रूप में अनुरक्षण करेगी और इस उद्देश्य के लिए सभी नर्सिंग कर्मियों का पंजीकरण करेगी और सजीव रजिस्टर के अनुरक्षण के अधिदेश की प्राप्ति के लिए उनके विवरण का मिलान करेगी। पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

(1) सभी पंजीकृत नर्स यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके नाम एसएनआरसी द्वारा बनाई गई एनआरटीएस योजना के अनुसार परिषद् अथवा संबंधित एसएनआरसी द्वारा स्थापित निकटवर्ती एजेंसी (स्वास्थ्य/नर्सिंग शिक्षण संस्थानों/प्रतिष्ठानों) में, जैसा भी मामला हो, विधिवत दर्ज कर लिए गए हैं।

(2) विवरण, 'आधार' आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ऑनलाइन सद्य अनुक्रिया के आधार पर दर्ज और अपलोड किए जाएंगे।

(3) इस प्रयोजन के लिए पंजीकृत नर्स को प्रमाणिकता सत्यापित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र जिससे जन्मतिथि प्रमाणित हो सके, नर्सिंग शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्र और एसएनआरसी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे, और अपलोड करने के लिए सभी प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई छवियां प्रस्तुत करनी होंगी।

(4) एसएनआरसी द्वारा विधिवत सत्यापन और अनुमोदन के पश्चात और भारतीय नर्स रजिस्टर में पंजीकरण होने पर, संबंधित नर्सों को एक नर्स विशिष्ट पहचान पत्र (एनयूआईडी) और नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्टर पासबुक प्रदान की जाएगी।

5. **मूल पंजीकरणः–** निर्धारित मान्यता प्राप्त नर्सिंग योग्यता उत्तीर्ण करने वाले नए योग्य कर्मियों का एनआरटीएस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण संबंधित एसएनआरसी द्वारा किया जाएगा। **सभी एसएनआरसी अनुसूची में दर्शाए अनुसार एक समान पंजीकरण शुल्क लेंगे।**

6. पारस्परिक/स्थानांतरण पंजीकरणः–

(1) पंजीकरण का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने के लिए, पंजीकृत नर्स एनआरटीएस पोर्टल में लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन करेंगे और पंजीकरण के ऐसे स्थानांतरण के कारण बताएंगे।

(2) पुरानी एसएनआरसी द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने पर, नई एसएनआरसी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सत्यापन के बाद पूर्व पंजीकरण संख्या पर ही स्थानांतरण औपचारिकताओं को पूरा करेगी।

(3) **सभी एसएनआरसी अनुसूची में दर्शाए अनुसार एक समान पारस्परिक पंजीकरण शुल्क लेंगे।** यदि पूर्व एसएनआरसी क्षेत्राधिकार छोड़ने के बाद तीन महीने के भीतर पारस्परिक पंजीकरण नहीं किया गया है, तो **एसएनआरसी आवेदक से अनुसूची में दर्शाए अनुसार जुर्माना भी वसूल करेगा।**

7. पंजीकरण/लाइसेंस का आवधिक नवीकरण:—

(1) **सजीव रजिस्टर** अनुरक्षित करने के लिए सभी पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों को हर 5 वर्ष के बाद पंजीकरण को नवीनीकृत करना होगा।

(2) परिषद् द्वारा जारी किए गए सीएनई दिशानिर्देशों के संदर्भ में साथ यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि नर्सिंग कर्मियों को नवीनतम ज्ञान और कौशल से अद्यतनीकरण किया जाए, पंजीकरण/लाइसेंस का नवीकरण 150 घंटे सीएनई से जुड़ा हुआ है।

(3) पंजीकरण के नवीकरण के लिए, पंजीकृत नर्स एनआरटीएस पोर्टल में लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन करेंगे और सीएनई प्रमाणपत्रों को इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट अपेक्षित शुल्क के साथ अपलोड करेंगे।

(4) **सभी एसएनआरसी अनुसूची में दर्शाए अनुसार एक समान पंजीकरण नवीकरण शुल्क लेंगे।** यदि नवीकरण के लिए आवेदन पूर्व पंजीकरण के पश्चात पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के छः माह बाद प्राप्त होता है, तो **एसएनआरसी अनुसूची में दर्शाए अनुसार नवीकरण शुल्क के अलावा जुर्माना भी वसूल करेगा।**

8. अतिरिक्त/उच्च योग्यता:—

(1) मान्यता प्राप्त उच्च नर्सिंग योग्यता हासिल करने वाले नर्स, अपनी उच्च योग्यता को एनआरटीएस पोर्टल पर अपेक्षित दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन मोड से अद्यतनीकृत कर सकते हैं।

(2) **सभी एसएनआरसी अनुसूची में दर्शाए अनुसार एक समान अतिरिक्त योग्यता पंजीकरण शुल्क लेंगे।**

9. जुर्माना:— उपरोक्त विनियमों के किसी भी प्रावधान का पालन न करने की स्थिति में, जैसा कि अनुसूची में निर्धारित किया गया है, जुर्माना लगाया जाएगा।

अनुसूची

क) फीस

(1) पंजीकरण शुल्क:— एएनएम के लिए रु. 1000/— और जीएनएम/बीएससी के लिए रु. 2000/— पैराग्राफ 5

(2) पारस्परिक पंजीकरण शुल्क:— रु. 1000/— पैरा 6(3)

(3) पंजीकरण नवीकरण शुल्क:— रु. 500/— पैरा 7(4)

(4) अतिरिक्त/उच्च योग्यता पंजीकरण शुल्क:— रु. 1000/— पैरा 8(2)

ख) जुर्माना

(1) पारस्परिक पंजीकरण में 3 माह से अधिक विलंब के लिए:— रु. 5000/— पैरा 6(3)

(2) पंजीकरण के नवीकरण में 6 माह से अधिक विलंब के लिए:— रु. 5000/— पैरा 7(4)

डा. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन—III/4/असा./33/19]